न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मदन बनाम गुलाबी वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 179 / 2026 (अजमेर)

रिमा03
24/4/26

	श्री निर्मल कुमार जैन	
21.04.2026	मदन बनाम गुलाबी वगैरह (2026 / 179) यह अपील श्री निर्मल कुमार जैन एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर मु0, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 02.04.2026 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 24.04.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
24.04.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि जिसकी वर्किंग जमाबंदी के अनुसार खातेदार श्रीमती पानी देवी पत्नी मिश्रीलाल जाति जाट से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 29.12.1980 को श्री बुद्धाराम के द्वारा क्रय की गई के जीवनकाल तक काश्त की जाती रही तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलाधीन भूमि में से 1 / 3 हिस्सा अपीलार्थी मदन एवं 1 / 3 हिस्सा श्री ब्रह्मा पुत्र बुद्धाराम के वारिसान अपीलार्थीगण संख्या 02 से 5 तथा 1 / 3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 05 किशना के द्वारा काश्त की जाती रही है तथा वर्किंग जमाबंदी में खातेदारी दर्ज है, परन्तु वर्तमान जमाबंदी में विक्रेती श्रीमती पानी देवी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 से 04 वारिस के नाम गलत इन्द्राज दर्ज कर दिया गया जबकि श्रीमती पानी देवी के द्वारा ही जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के बेचान की जा चुकी थी ऐसी अवस्था में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 जो श्रीमती पानी देवी के वारिस है का अपीलाधीन भूमि से कोई हक व अधिकार नही रहा है क्योंकि पानी देवी के द्वारा ही जरिये पंजीबद्ध विक्रय के बेचान किये जाने के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार श्रीमती पानी देवी के ही खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके थे। जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को थी इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद बेचान की गई जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा प्रकरण संख्या 2 / 2026 में धारा 151 जा0दी0 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर पाबंद किया जावे जो कि बेवजह विवाद बढने से रोक व अपीलार्थीगण के विधिक कब्जे एवं अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते हुए अपीलाधीन भूमि को अन्य को बेचान, हस्तारण किये जाने से अप्रार्थी संख्या 06 के द्वारा विधुत लाईन पोल हेतु भूमि की एवज में मुआवजा राशि भी भुगतान करने पर आमादा है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

मिसल लगातार...

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मदन बनाम गुलाबी वगैरह

किस्म मुकदमा:–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 179/2026 (अजमेर)

–श्री मिसिल (किशोर) ...

लगातार...

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा/स्थगन आदेश पारित किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 एवं अन्य को पाबंद किया जावे कि अपीलधीन भूमि कि जिसे बेचान हस्तांतरण नहीं करें, आवेदनकर्ता के 2/3 हिस्से की भूमि के विधिक अधिकारों में दखल नहीं करें एवं अप्रार्थी संख्या 06 के विरूद्ध भी आदेश पारित किया जावें कि अपीलाधीन भूमि का भाग जो पॉवर लाईन हेतु कि जिसकी मुआवजा राशि अप्रार्थीण संख्या 01 से 05 अथवा किसी अन्य को भुगतान नहीं की जावें मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2026 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी अभिभाषक को सुनकर नोटिस जारी किये गये। दिनांक 10.03.2026 को अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए तथा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 02.04.2026 को अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया गया। दिनांक 13.04.2026 को अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाकर पत्रावली को जवाब में रखते हुए आगामी पेशी दिनांक 20.04.2026 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ दिनांक 29.12.1980 के विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के पूर्वज श्रीमती पानी देवी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के हिस्से का बेचान किया गया है तथा अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदीयों से प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आते है कि पानी के वारिसानों द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र बेचान किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है।

किन्तु माननीय उच्चतर न्यायालयो ने भी अपने अनेको न्यायिक दृष्टांतो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पक्षकारान के बीच विवादित आराजीयात के संदर्भ में सद्भाविक वाद–विवाद मौजूद है। अतः प्रकरण में वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से एवं वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित रखने हेतु अपील के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना विवादित आराजीयात के अप्रार्थी संख्या 6 को छोडते हुए हुए शेष रेस्पोडेन्ट को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे जाने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार...

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मदन बनाम गुलाबी वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 179/2026 (अजमेर)

श्री निखिल कुमार जैन

लगातार...

उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। तब तक विवादित आराजीयात के अप्रार्थी संख्या 6 पॉवर ग्रिड को छोडकर शेष पक्षकारान को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किया जाता हैं।

अप्रार्थी संख्या 06 को निर्देशित किया जाता है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण तक अपीलाधीन वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में किसी भी पक्षकार को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करें साथ ही अप्रार्थी संख्या 06 द्वारा राजहित में विधुत लाईन/पोल या अन्य किसी भी प्रकार का कार्य अथवा निमार्ण कार्य न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश से प्रभावित नहीं रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

नास्तम्भ जैन ADV ने अपील पेश की। P.O. साहब उदय राजकीय कार्य में व्यस्त है।
20/4/26

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील संख्या –179/2026

1– श्री मदन पुत्र श्री बुद्धाराम जाति रावत

2– श्रीमती गैनी देवी पत्नी स्व. श्री ब्रह्मा पुत्रवधु स्व. श्री बुद्धाराम

3– देवकरण पुत्र स्व. श्री ब्रह्मा पौत्र स्व. श्री बुद्धाराम

4– रघुनाथ सिंह पुत्र स्व. श्री ब्रह्मा पौत्र स्व. श्री बुद्धाराम

5– रामकरण पुत्र स्व. श्री ब्रह्मा पौत्र स्व. श्री बुद्धाराम

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम मायापुर तहसील व जिला अजमेर।

— आवेदनकर्ता

बनाम

अपील बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

21/4/26

1– श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी श्री शंकर जाति जाट

2– श्रीमती अंजू देवी पुत्री श्री केला जाति जाट

3– संजू पुत्री केला जाति जाट

4– श्रीमती शौभा पत्नी केला जाति जाट

समस्त निवासीगण ग्राग डांग रोड, सराधना उप तहसील सराधना तहसील व जिला अजमेर।

5– किशना पुत्र बुद्धाराम जाति रावत निवासी ग्राम डांग रोड, सराधना उप तहसील सराधना तहसील व जिला अजगेर।

6– पावरग्रीड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटैड, पावरग्रीड ए–97, हरिभाउ उपाध्याय नगर, पुष्कर रोड, अजमेर जरिये व्यवस्थापक

7– उप पंजीयक पंजीयन विभाग सराधना उप तहसील सराधना

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर तहसील अजमेर।

— रेस्पोडेन्ट्स

179/2026
21/4/26

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बनाराजगी आदेश, न्यायालय श्रीमान

मदन देवकरण

Scanned with CamScanner

सहायक कलक्टर मुख्यालय, अजमेर, प्रकरण संख्या 2/2026 आदेश दिनांक 02–04–2026 के विरूद्ध अपील

महोदय,

अपीलार्थीगण श्रीमान से निम्न निवदेन कर करते है कि : –

1– यह कि अपीलार्थीगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 02/2026 अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है के साथ प्रकरण संख्या 02/2026 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, साथ ही आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी भी दिनांक 02–04–2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि कि जिसे प्रकरण के विचाराधीन होते हुये अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के द्वारा बेचान हस्तान्तरण कर दी गई, एवं आज भी आमादा है, आवेदनकर्तागण के विधिक अधिकारो में दखल व्यवधान करने पर आमादा है, इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर पाबन्द किया जावे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा के सन्दर्भ मे कोई आदेश ही पारित नही किया गया, इस कारण अपीलाधीन आदेश जो कि न्याय नियम एवं विधि के प्रतिकुल तथा नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत है।

2– यह कि अपीलाधीन भूमि कि जिसकी वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार खातेदार श्रीमती पानी देवी पत्नी मिश्रीलाल जाति जाट से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 29–12–1980 को श्री बुद्धाराम के द्वारा क्रय की गंई के जीवनकाल तक काश्त की जाती रही तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलाधीन भूमि में से 1/3 हिस्सा अपीलार्थी मदन एवं 1/3 हिस्सा श्री ब्रह्मा पुत्र बुद्धाराम के वारिसान अपीलार्थीगण संख्या 02 से 05 तथा 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 05 किशना के द्वारा

Scanned with CamScanner